

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, दरभंगा ।  
अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णिया ।

पटना, दिनांक : 17-10-2017

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0001-यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड- 20-2210012000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतनादि ईकाईयों में कुल ₹35,44,780/- (पैंतीस लाख चौवालीस हजार सात सौ अस्सी) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड में विभागीय आवंटनादेश संख्या-09(7)ब दिनांक-15.05.17, 44(7)ब दिनांक-17.08.17, 68(7)ब दिनांक-22.09.17, 70(7)ब दिनांक-25.09.17 एवं 88(7)ब दिनांक-16.10.17 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों के लिए कुल ₹35,44,780/- (पैंतीस लाख चौवालीस हजार सात सौ अस्सी) मात्र का आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या-20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0001-यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड- 20-2210012000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।


4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, दरभंगा तथा अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णिया होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबावदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं।



7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।
9. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक- 15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा।
10. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।
11. इससे अवमाननावाद संख्या-1674/2012 में हुए न्याय निर्णय के आलोक (अभ्युक्ति में दिये गये सूची अनुसार) में भुगतान किया जायेगा, अगर राशि की कमी होती है तो संबंधित संस्थान में उपलब्ध राशि से जोड़कर भुगतान करें। भुगतान उपरान्त राशि के बचत होने की स्थिति में इस शीर्ष के आवश्यकता आधारित भुगतान भी किया जा सकता है। भुगतानोपरान्त राशि की कमी होने पर अतिरिक्त राशि की मांग विभाग से करेंगे।
12. संबंधित सिविल सर्जन एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
13. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

( सच्चिदानंद चौधरी )  
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 90 (7) B

पटना, दिनांक : 17-10-17

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित सिविल सर्जन/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-03, 7 /आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

विवरण-1

वित्तीय वर्ष 2017-2018 (विपत्र कोड 20-2210012000001) में बिहार स्थित यक्ष्मा उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	दवा भंडार (21-02)	योग वेतन	अभ्युक्ति
										अवमाननावाद सख्खा 1674/2012 में हुए आदेश के आलोक में भुगतान हेतु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णिया	1400000	1820000	280000	8000	10000	3518000	0	3518000	डा० उपेन्द्र प्रसाद शर्मा
2	अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, दरभंगा	0	0	0	0	0	0	26780	26780	सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं०-11612/ 13 नन्दकिशोर लाल बनाम राज्य सरकार एवं अन्य
	कुल	1400000	1820000	280000	8000	10000	3518000	26780	3544780	

(पैंतीस लाख चौवालीस हजार सात सौ अस्सी) रु. मात्र

सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रम	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001-01-01)	220000000	178760000	1400000	180160000	39840000
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	290000000	232450000	1820000	234270000	55730000
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	325000000	270180000	280000	272980000	52020000
4	परिवहन भत्ता (0001-01-05)	2000000	1197000	0	1197000	803000
5	चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)	2500000	1789200	8000	1797200	702800
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	3000000	2141600	10000	2151600	848400
	योग 20-2210.01.200.0001.01 वेतन	550000000	443355800	3518000	446873800	103126200
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	1000000	498839	0	498839	501161
8	यात्रा व्यय (0001-11-01)	250000	126000	0	126000	124000
9	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	400000	398000	0	398000	2000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0001-13-02)	300000	152500	0	152500	147500
11	दूरभाष (0001-13-03)	200000	136000	0	136000	64000
12	विद्युत प्रभार (0001-13-04)	5000000	5000000	0	5000000	0
13	विधि प्रभार (0001-13-05)	300000	175000	0	175000	125000
14	वर्दी/ पोषाक (0001-13-06)	200000	202500	0	202500	-2500
15	किराया महसूल एवं कर (0001-14-01)	200000	100000	0	100000	100000
15	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	3000000	0	0	0	3000000
16	सामग्री एवं पूर्तियों (0001-21-01)	380000	223000	0	223000	157000
17	दवा भंडार (0001-21-02)	600000	0	26780	26780	573220
18	आहार/ पथ्य (0001-21-03)	600000	500000	0	500000	100000
19	मशीने एवं उपस्कर (0001-52-01)	400000	100000	0	100000	300000
	कुल योग:-	562830000	450967639	3544780	454512419	108317581

90 (7) अ

17-10-17

सरकार के विशेष सचिव